



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / CHAINLINK-FANCING / 2023-24 / 2215

दिनांक : ~~27.09.2023~~

3.10.2023

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : SUPPLY AND INSTALLATION OF CHAIN - LINK FENCING AT FARMER'S LAND FOR PROTECTION OF HORTICULTURE CROPS की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा जारी रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 02.09.2023

निगम के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए SUPPLY AND INSTALLATION OF CHAIN - LINK FENCING AT FARMER'S LAND FOR PROTECTION OF HORTICULTURE CROPS हेतु निम्न प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	प्रदायक / निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता
01	M/S NATIONAL ENGINEERING WORKS OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)
02	M/S FABRICON INDUSTRIES 103 EMPIRE REGENCY, SHRINAGAR ANEX, INDORE (MP)
03	M/S G.V. INDUSTRIES 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)
04	M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATION 21, INDUSTRIAL AREA, DHAR (M.P.)

निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

SUPPLY AND INSTALLATION OF CHAIN- LINK FENCING AT FARMER'S LAND FOR PROTECTION OF HORTICULTURE CROPS							
UNIT OF CHAINLINK	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
PER RUNNING METER	BASIC PRICE	GST	TOTAL PURCHASE PRICE	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN	GST @ 18%	FINAL SALLING PRICE
	852.02	153.36	1005.38	852.02	42.60	161.03	1055.65

नोट : चैनलिंग फेन्सिंग की उपरोक्त दरें प्रति रनिंग मीटर है।

सामग्री के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **चैनलिंग के स्पेसिफिकेशन** : ऍंगल आयरन पोल की ऊंचाई 8 फिट एवं बीज की दूरी 2.5 मीटर एवं पांच स्तरीय बारबेड वायर तथा जी.आई. चैनलिंग मेश साईज 100mm x 100mm व Dia 3mm होना चाहिये। (तकनीकी स्पेसिफिकेशन पत्र के साथ संलग्न है)

2. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर, इस पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
3. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी।
4. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कंट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार, प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक शेष न रहे।
4. **सामग्री की प्रदायगी** - सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा, प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) आदेशित सामग्री का प्रदाय क्रेता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण, निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
 - (स) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।


5. **सामग्री की गुणवत्ता** - निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैंपल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश/अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें मुख्यालय द्वारा SUPPLY AND INSTALLATION OF CHAIN - LINK FENCING AT FARMER'S LAND FOR PROTECTION OF HORTICULTURE CROPS हेतु जारी आर.सी.ओ. अनुसार रहेंगी।

संलग्न : तकनीकी स्पेसिफिकेशन.


नितिन माहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2216
3-10-23

1. संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 6553 दिनांक 11.10.23 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महा प्रबंधक (लेखा), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित प्रदायक की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री की प्रदायगी मुख्यालय द्वारा SUPPLY AND INSTALLATION OF CHAIN - LINK FENCING AT FARMER'S LAND FOR PROTECTION OF HORTICULTURE CROPS हेतु जारी आर.सी.ओ. के अनुसार सुनिश्चित की जावे।


प्रबंधक (विपणन)

TECHNICAL SPECIFICATION

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	QUANTITY	UNIT
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means in over areas foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 Mtr. (All kind of soils)	22.356	CUM.
2	Angle iron post & strut of required size including bottom to be split and bent at right angle in opposite direction for 10 cm length and drilling holes upto 10 mm dia. etc. complete	2030.72	KG.
3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering, all work upto plinth level (with 40mm. nominal size graded stone aggregate with M-7.5 concrete mix	22.356	CUM.
4	Fencing with R.C.C. post placed at required distance, embedded in cement concrete blocks, every 15th post, last but one end post and corner post shall be strutted on both sides and end post one side only, provided with horizontal lines and two diagonals of barbed wire 9.38 kg per 100 meters (min) between the two posts fitted and fixed with G.I. staples on wooden plugs or G.I. binding wire tied to 6 mm bar nibs fixed while casting the post (cost of R.C.C. posts, struts, earth work and concrete to be paid for separately) :- Payment to be made per meter cost of total length of barbed wire used. With G.I. barbed wire (2- ply 12 gauge)	2000	Mtr.
5	Providing and fixing G.I. chain link fabric fencing of required width in mesh size 100x100mm including strengthening with 2mm dia wire or nuts, bolts and washers as required complete as per the direction of Engineer- in-charge. Made of G.I. wire of dia 3.00mm	864	K.G.
6	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets gates and similar works	300	K.G.

DESCRIPTION OF WORK

No.	DESCRIPTION OF ITEM	NO.	LENGTH	BREADTH	DEPTH	QUANTITY
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means in over areas foudation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed within a lead of 50 Mtr.(All kind of soils)					
	Pit for vertical pole	160	0.45	0.45	0.60	19.44
	Pit for support pole	32	0.45	0.45	0.45	2.916
						22.356
2	Angle iron post & strut of required size including bottom to be split and bent at right angle in opposite direction for 10 cm length and drilling holes upto 10 mm dia. etc. complete Angle iron 50x50x5mm					
	vertical pole	160	2.70	3.80		1641.60
	Hold fast	160	0.20	3.80		121.60
	support pole	32	2.00	3.80		243.20
	Hold fast	32	0.20	3.80		24.32
						2030.72
3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering, all work upto plinth level (with 40mm. nominal size graded stone aggregate with M-7.5 concrete mix					
	vertical pole	160	0.45	0.45	0.60	19.44
	support pole	32	0.45	0.45	0.45	2.916
						22.356
4	Fencing with R.C.C. post placed at required distance, embedded in cement concrete blocks, every 15th post, last but one end post and corner post shall be strutted on both sides and end post one side only, provided with horizontal lines and two diagonals of barbed wire 9.38 kg per 100 meters (min) between the two posts fitted and fixed with G.I. staples on wooden plugs or G.I. binding wire tied to 6 mm bar nibs fixed while casting the post (cost of posts, struts, earth work and concrete to be paid for separately):- Payment to be made per meter cost of total length of barbed wire used. With G.I. barbed wire (2- ply 12 gauge)					
	Horizontal rows	5	400.00			2000.00

S.N	DESCRIPTION OF ITEM	NO.	LENGTH	BREADTH	DEPTH	QUANTITY
5	Providing and fixing G.I. chain link fabric fencing of required width in mesh size 100x100mm including strengthening with 2mm dia wire or nuts, bolts and washers as required complete as per the direction of Engineer- in-charge. Made of G.I. wire of dia 3.00mm					
		1	400	1.80		720.00
		720	1.20			864.00
6	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel etc. as required. hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets gates and similar works					
	Display Board (LUM SUM)	1				50.00
	Gate (LUM SUM)	1				250.00
						300.00

General Technical Specification (RKVY)

- As per guidelines of the Scheme under RKVY, angle iron being used as pole in the chain link fencing shall be of 8 feet with 1feet bend total 9 feet and the distance between two poles shall be of 2.5 meter. G.I. barbed wire 2- ply 12 gauge. The mesh size of chain link shall be of 100mm x 100mm made of G.I. wire of 3.00mm dia
- All the items being used for chain link fencing shall be of BIS certified.